भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in
Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

F.No. S 65/11/2016-17/ CCU CUS. **तारीख Dated: 12.06.2018**

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER No.02/2018

विषय: सीमाशुल्क के अधिकारियों की न्यायनिर्णयन की शक्तियाँ -संबन्धित
Sub: Powers of adjudication of the Officers of Customs-reg.

****

सभी अधिकारियों का ध्यान वित्त अधिनियम, 2018 के अनुसार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क के अधिकारियों के न्याय निर्णयन की शक्तियों में संशोधन से संबन्धित दिनांक 8 जून, 2018 के बोर्ड की अधिसूचना सं. 50/2018-कस्टम्स (एनटी) के साथ पठित दिनांक 8 जून, 2018 के परिपत्र सं॰ 16/2018-कस्टम्स की ओर आकर्षित किया जाता है, और उसे सख्त अनुपालन के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ-साथ, उन सभी मामलों में न्यायनिर्णयन करते समय जिसमें व्यक्तिगत सुनवाई दी जा रही है और निर्णय लिया जा रहा है, उन सभी न्यायनिर्णयन मामलों में निम्नलिखित मौद्रिक सीमाओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

Kind attention of all the officers is invited to the **Board's Notification No. 50/2018-Customs (N.T.) dated 8th June, 2018 read with Circular No. 16/2018-Customs dated 8th June, 2018** regarding the modification in the Powers of adjudication of the officers of Customs consequent to amendment to the Customs Act, 1962 vide the Finance Act, 2018, is reproduced herewith for strict compliance. Forthwith, while adjudicating the cases in which Personal Hearing is to be granted and in all the cases that will be adjudicated hereafter the following monetary limits of adjudication are to be followed strictly.

क्रमांक **S.No.**	न्याय निर्णयन अधिकारी का रैंक **Rank of Adjudication Officer**	जब्त किए जाने वाले वस्तु का मूल्य (रुपये में) **Value of goods liable for confiscation (in Rupees)**
1.	प्रधान आयुक्त /आयुक्त	50 (पचास) लाख से ऊपर कोई सीमा नहीं.
	Principal Commissioner/Commissioner	**above 50 (fifty) lakhs-without limit**
2.	अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त	10 (दस) लाख और 50 (पचास) लाख के बीच
	Additional Commissioner /Joint Commissioner	**between 10 (ten) lakhs to 50 (fifty) lakhs**
3.	सहायक आयुक्त/ उप आयुक्त	1 (एक) लाख से ऊपर लेकिन (10) लाख से कम

	Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner	**above 01 (one) lakh but not exceeding 10 (ten) lakhs**
4.	सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त या उप आयुक्त से कम रैंक का सीमाशुल्क का कोई राजपत्रित अधिकारी	रुपये 1 (एक) लाख तक
	A Gazetted Officer of Customs lower in rank than an Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs	**not exceeding rupees 01 (one) lakh**

Sd/-

(सुमित कुमार Sumit Kumar)
आयुक्त Commissioner

जारी Issued to:

1. अपर आयुक्त/ सभी उप/ सहायक आयुक्त/ सभी मूल्य निरूपक/ सभी सीमाशुल्क अधीक्षक
   Addl. Commissioner/ All DCs/ ACs/ Appraisers/ Supdts.
2. सभी अनुभाग
   All Sections
3. एयरपोर्ट /एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, डाक मूल्य निरूपण विभाग
   Airport/ Air Cargo Complex/ Postal Appraising Department
4. अधीक्षक (ई डी आई) को वेब साइट में अपलोड करने के लिए।
   The Superintendent, EDI for uploading on Website.
4. आयुक्त की फाइल Commissioner file

Attested

(T.PAVITHRAN)
Superintendent of Customs
(Adjudication)